

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:- सुनिता यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :-138/2013 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88-89-92क-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1-श्री नारायण पिता लादू खारोल, उम्र बालिग निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

2-श्री मोहन पिता लादू खारोल, उम्र बालिग निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

3-श्री कैलाश पिता लादू खारोल, उम्र बालिग निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
(राजस्थान)---वादीगण

बनाम

1-श्री लादू पिता उदा खारोल, उम्र बालिग निवासी सबलपुरा ग्राम पंचायत हलेड़ तहसील व
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2-उप पंजीयक महोदय, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

3-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
(राजस्थान)

---प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1
की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 18.5.
2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि
और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि
आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा
राशि - को दी जायें।

न्याय हित में प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादीगण का वाद पत्र
स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 के इस आशय की
जारी की जाती है कि ग्राम महुआकंला पटवार हल्का महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
में स्थित निम्नांकित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विभाजन अनुसार
राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार भूमि विभाजन से
वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हक व हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की
जावें।

1-श्री नारायण पिता लादू खारोल, उम्र बालिग, श्री मोहन पिता लादू खारोल, उम्र बालिग,
श्री कैलाश पिता लादू खारोल, उम्र बालिग निवासीयान सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
(राजस्थान) वादीगण के नाम हक व हिस्से अनुसार निम्न भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज की
जावें।

आराजी नम्बर
947
2689/919

1 बीघा
1 बीघा

रकबा
08 बिस्वा
10 बिस्वा

लगान

-
-
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

917	1 बीघा	10 बिस्वा	-
कुल किता 3 रकबा	4 बीघा	08 बिस्वा	लगान -

2-श्री लादू पिता उदा खारोल, उम्र बालिग निवासी सबलपुरा ग्राम पंचायत हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
934	1 बीघा	01 बिस्वा
952	-	12 बिस्वा
कुल किता 2 रकबा	1 बीघा	13 बिस्वा
		लगान -

उक्तानुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में हक व हिस्से अनुसार दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(सुनिता यादव)

आर.ए.एम.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा (राज.)
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 18.05.2018 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा (राज.)
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा